उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-36/2018/3258/37-1-2018-2(15)/2017

लखनऊः दिनांक 11 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-आदेश

रिट याचिका संख्या-17836 एस0बी0/2018, डा0 रूद्र प्रताप बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मामले में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2018 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:-

Appreciating the submission of learned Counsel for the parties and the fact that the present recruitment year is going to expire on 30.06.2018 and the Chief Secretary time and again has issued directions to all the
department concerned to make promotion on the vacant post within the recruitment year by fixing time 4 schedule. Apparently, the department has not processed the selection on the post of Additional
Director Grade-I Veterinary Department Animal Husbandry earlier but now the proposal has been sent only for the post of Additional Director Grade-I by the department and the issue is pending with the Personnel
Department, therefore, ends of justice would be served by directing the Principal Secretary, Personnel Department, Government of U.P. and all other concerned to ensure that the Departmental Promotional Committee is convened before the expiry of current recruitment year i.e. 30.06.2018, so that the recommended candidates are given the benefit of promotion on the post in question before the expiry of the recruitment year 2017-2018.
With the aforesaid observation/direction, the writ petition is disposed of finally.

2- कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-22(25)/2018/का-1-2018, दिनांक 11.07.2018 (दो पत्र) द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में पशुधन विभाग के अन्तर्गत निदेशक एवं अपर निदेशक, ग्रेड-1 के पदों पर विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 30.06.2018 को सम्पन्न हो चुकी है। कार्मिक विभाग द्वारा उपरोक्त पत्रों के माध्यम से चयन समिति की संस्तुतियां अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयीं।

3- रिट याचिका संख्या-21465एस0बी0/2018, डा0 सन्तोष कुमार श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2018 को निम्नवत् आदेश प्रदान किये गयेः-

In these circumstances, we dispose of this writ petition with the direction to the respondents to decide the representations said to have been preferred by the petitioner against the downgraded entries for the year 2012-13 & 2013-14 and also against the adverse entry for the year 2014-15, expeditiously, say within a period of four weeks.

We further direct that while considering the representation said to have been preferred by the petitioner against the adverse entry for the year 2014-15, the letter dated 21.06.2018, written by the Director of the Department of Animal Husbandry, which is contained in annexure-15 to the writ petition, shall also be

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

taken into consideration. Once the representations preferred by the petitioner against the downgraded entries as also against the adverse entry, as observed above, are decided under this order, dependent on the result thereof, the review Departmental Promotion Committee shall be held within next four weeks and if the petitioner is found eligible, his case shall also be considered.

We further direct that till disposal of the representations preferred by the petitioner under this order, the result of the Departmental Promotion Committee said to have been held in the month of June, 2018 for making promotion to the posts of Additional Director Grade-I and Director of the Department of Animal Husbandry shall not be declared and this result shall abide by the decision to be taken by the respondents on the representations preferred by the petitioner against the downgraded entries/adverse entry. It is needless to observe that in case any situation for holding review Departmental Promotion Committee, after disposal of the representations preferred by the petitioner against the downgraded entries/adverse entry, arises, then the same shall relate back to the recruitment year ending on 30.06.2018.

4- कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-22(25)/2018/ का-1-2018, दिनांक 27.09.2018 द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 01.08.2018 के अनुपालन में पशुधन विभाग के अन्तर्गत अपर निदेशक ग्रेड-1, पशुपालन (वेतनमान रू0 37400-67000 ग्रेड पे रू0 8900 पे मैट्रिक्स-13क) के पद पर दिनांक 30.06.2018 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक के क्रम में अद्यतन चयन सामग्री के आधार पर पुनर्विचार किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.09.2018 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। चयन समिति द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उपरिसंदर्भित आदेश दिनांक 01.08.2018 के समादर में याची डा0 सन्तोष कुमार श्रीवास्तव के प्रत्यावेदनों के निस्तारण के उपरान्त, पात्रता सूची में सम्मिलित अधिकारियों के परिवर्तित/अद्यतन (याची डा0 सन्तोष कुमार श्रीवास्तव के सन्दर्भ में) समस्त सेवाभिलेखों एवं मूल चरित्र पंजियों के अवलोकनोपरान्त तथा मूल चयन में अपनाये गये मानकों के आधार पर, अपर निदेशक ग्रेड-1 के पद पर दिनांक 30.06.2018 की तिथि को ही चयन समिति की बैठक सम्पन्न मानते हुये, पात्रता सूची के क्रमांक-5, 7 व 9 पर अवस्थित अधिकारियों क्रमशः डा0 रूद्र प्रताप, डा0 अनूप कुमार श्रीवास्तव व डा0 उदय प्रताप सिंह को अपर निदेशक ग्रेड-1, के पद पर सम्यक विचारोपरान्त, नियमानुसार पदोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

5- रिट याचिका संख्या-17836 एस0बी0/2018, डा0 रूद्र प्रताप बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मामले में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 का अनुपालन न हो पाने के कारण अवमानना याचिका संख्या-1721(सी0)/2018, डा0 रूद्र प्रताप बनाम राजीव कुमार, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2018 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैंः-

Heard.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Sri Mohit Jauhari, learned Standing Counsel files an affidavit of compliance on behalf of Additional Chief Secretary (Karmik) presently posted as Additional Chief Secretary (Planning), Government of U.P., Lucknow. By means of the said affidavit, it has been indicated that in compliance to the judgment passed by this Court, the Karmik Department vide its letter dated 27.9.2018 has sent the recommendations of the Departmental Promotion Committee to the Administrative Department of Animal Husbandry Department and consequently no further action is required at the level of the Karmik Department. Sri Jauhari, on the basis of instructions, submits that the Principal Secretary, Department of Animal Husbandry is on leave till 4th of October, 2018 and consequently a formal order for promotion is now to be passed by him after he resumes duty and it is expected that the formal order in this regard would be passed within one week.

On the other hand, Sri Sandeep Dixit, learned counsel for the petitioner submits that the respondents instead of complying with the order passed by this Court dated 18.6.2018 have proceeded to pass orders on the basis of directions issued in Writ Petition (S/B) No.21465 of 2018 In re: Santosh Kumar Srivastava vs. State of U.P. and others decided on 1.8.2018 and consequently they are proceeding to pass order on the basis of reviewed recommendations of Departmental Promotion Committee in pursuance to the order of writ Court dated 1.8.2018 and not pursuant to the order dated 18.6.2018 against which present contempt petition has been filed.

Be that as it may, once the respondents are in the process of issuing a formal promotion order pertaining to the petitioner, as such, list this case after one week on 12th October, 2018. In case the compliance of the judgment and order dated 18.6.2018 is not made by the next date then the respondent No.4 shall appear in person.

6- उल्लेखनीय है कि डा0 रूद्र प्रताप अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः रिट याचिका संख्या-17836 एस0बी0/2018, डा0 रूद्र प्रताप बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मामले में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में, कार्मिक विभाग द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में श्री राज्यपाल एतद्वारा डा0 रूद्र प्रताप, अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग को दिनांक 30.06.2018 से अपर निदेशक, ग्रेड-1, पशुपालन विभाग (वेतनमान रू0 37400-67000 ग्रेड पे0 रू0 8900/- पे मैट्रिक्स-13क) के पद पर नोशनल पदोन्नति किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या- 3258 (1)/37-1-2018-2(15)/2017तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।

7- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रघुवीर प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।